

भारत में स्थित सभी शाखाओं / कार्यालयों के लिए परिपत्र

मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: 70/75/80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा सहायता का भुगतान -स्टाफ कल्याण योजना के तहत नई योजना का शुभारंभ.

बैंकिंग उद्योग में हमारा बैंक सर्वोत्तम कर्मचारी जुड़ाव प्रक्रियाओं को अपनाने में सबसे आगे रहा है. हमारे बैंक की कर्मचारी कल्याण संबंधी पहलों का प्राथमिक उद्देश्य हमेशा स्टाफ सदस्यों का पूरा ध्यान रखना है. बैंक का यह मतत प्रयास रहा है कि स्टाफ कल्याण विभाग के तहत बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित सर्वोत्तम कल्याणकारी योजनाओं को अपनाया जाए तथा मौजूदा योजनाओं को और बेहतर बनाया जाए.

हमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई योजना को आरंभ करते हुए प्रसन्नता हो रही है जिसके तहत 70/75/80 वर्ष की आयु पूरा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा सहायता के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो कि 01.01.2020 से प्रभावी होगी.

संदर्भ:

यह योजना निम्नलिखित पूर्व -कर्मचारियों के लिए लागू है:

1. वॉव कर्मचारी पेंशन विनियमन 1995/बीओबीओएसआर 1979 के तहत बैंक की सेवा में अधिवर्षिता पूरी करने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले स्टाफ सदस्यों के लिए.
2. ऐसे स्टाफ सदस्य जिन्हें चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत जांच के बाद चिकित्सा आधार पर उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/समय पूर्व सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हुए बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है.

स्टाफ सदस्य, जो शामिल नहीं है:

1. ऐसे कर्मचारी जो सेवा में डिस्चार्ज /वर्खास्त /निष्कासित किए गए हैं या दंड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त या पदच्युत किए गए हैं वे इस सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं.
2. यदि विनियमन 20(3)(iii) लगाया गया है तो इस सुविधा का लाभ अनुशासनात्मक /न्यायिक कार्यवाही के पूरा होने के बाद दिया जाएगा.
3. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वॉव (ई) बीआरएस 2001 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है.

योजना के तहत लाभ :

पूर्व कर्मचारियों को बेहतर मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने और सुलभ परिचालन के लिए बैंक ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 01.01.2020 से इंटरनेट आधारित एक विशेष वेब पोर्टल आरंभ किया है. इस पोर्टल को कभी भी, कहीं भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकता है.

70 /75/80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा महायता निम्नानुसार है :

ग्रेड	राशि
सब स्टाफ	रु. 2500
लिपिक	रु. 3000
वेतनमान I, II एवं III	रु. 3500
वेतनमान IV एवं V	रु. 4500
वेतनमान VI और उससे ऊपर	रु. 5500

कार्य पद्धति :

1. पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक्स इम्प्लोय पोर्टल के माध्यम से विशेष चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए यूआरएल निम्नलिखित है :

1. <https://easiest.bobinside.com:8443/exempmodule>

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने कर्मचारी कूट को यूजर आईडी के रूप में और जन्मदिन को पासवर्ड के रूप में उपयोग कर लॉगिन करना है.

उदाहरण स्वरूप यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी का कर्मचारी कूट 1234 और जन्मदिन की तारीख 10-12-1922 है तो उनका लॉगिन आईडी 1234 और पासवर्ड 10-12-1922 होगा.

2. आवेदन करने के लिए समय सीमा निम्नानुसार है :-

वर्ष	समय-सीमा
70 वर्ष	70 वें और 71वें जन्मदिन के बीच (दोनों दिन शामिल हैं)
75 वर्ष	75 वें और 76वें जन्मदिन के बीच (दोनों दिन शामिल हैं)
80 वर्ष	80 वें और 81वें जन्मदिन के बीच (दोनों दिन शामिल हैं)

आयु ब्रेकेट में केवल एक बार आवेदन किया जा सकता है और पूर्व कर्मचारियों के लिए विंडो 70-71वें वर्ष 75-76वें वर्ष और 80-81वें वर्ष में उपलब्ध होगी.

3. कृपया नोट करें कि कैरी फॉरवर्ड सुविधा की अनुमति नहीं है. यदि आवेदन किसी आयु ब्रेकेट में नहीं किया जाता है तो यह समाप्त हो जाएगा.



4. भुगतान केंद्रीकृत रूप से प्रधान कार्यालय द्वारा अगले माह के पहले सप्ताह में किया जाएगा.

कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु को सभी कर्मचारियों/ पूर्व कर्मचारियों की जानकारी में लाएं, पूर्व कर्मचारियों के हित में इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए.

भवदीय

जयदीप दत्ता शाय

(जयदीप दत्ता शाय)

मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रमुख

(नीतिपरक मासं एवं मासं एकीकरण)

8/3

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

ई-मेल / E-mail : nrm.ho@bankofbaroda.com, वेबसाइट / Website : www.bankofbaroda.com

CIRCULAR TO ALL BRANCHES/OFFICES IN INDIA

**ISSUED BY HRM Dept.
HEAD OFFICE, BARODA**

Madam/Dear Sir,

Re: Payment of special Medical Aid to Retired employees on reaching the age of 70/75/80 years- Introduction of New Scheme under Staff Welfare Scheme.

Our Bank has been in the forefront in taking various progressive employee welfare initiatives to take good care of our staff members. It has been Bank's constant endeavor to adopt the best welfare measures in the industry and improvise on existing schemes under the staff Welfare Dept.

We are pleased to inform the introduction of a new scheme for retired employees wherein Payment of special Medical Aid is extended to Retired employees on reaching the age of 70/75/80 years w.e.f 01.01.2020.

COVERAGE:

The scheme is open for the following Ex-employees:

1. Retired from Bank's service either on superannuation or Voluntary Retirement under BOB Employees' Pension Regulation, 1995/ BOBOSR 1979.
2. Those who have been allowed to voluntarily retire/ Prematurely Retiring from the Bank's service on medical ground after due examination of Medical Board.

EXCLUSION:

1. Employees who have been discharged / dismissed / removed from service/ compulsorily retired or their services have been terminated by way of punishment will not be eligible.
2. When Regulation 20(3)(iii) is invoked, the benefit will be available only after completion of disciplinary/judicial proceedings.
3. Employees who have sought Voluntary Retirement under BOB(E)VRS 2001.

BENEFITS UNDER THE SCHEME:

To provide better HR services and ease of operation for ex-employees, Bank has introduced an exclusive internet based web-portal for retired employees w.e.f 01.01.2020. The portal can be accessed anytime anywhere from desktop, laptop, smartphone, tablets etc.

Additional medical aid to retired employees in their 70th, 75th and 80th year as below:-

Grade	Amount
Substaff	Rs. 2500
Clerk	Rs. 3000
Scale I, II and III	Rs. 3500
Scale IV and V	Rs. 4500
Scale VI and above	Rs. 5500



MODALITIES:-

1. Eligible retired employees have to apply for the special medical aid through the Ex-Employee Portal. The URL for the same is given below:

1. https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empmodule

Retired employee have to login using their EC number as user id and DOB as their password.

Eg- If ex-employee's EC number is 1234 and DOB is 10-12-1922, then his login id shall be 1234 and password 10-12-1922.

2. The timeframe for making an application is as below:-

Year	Timeframe
70 th year	Between 70 th & 71 st birthday (both dates inclusive)
75 th year	Between 75 th & 76 th birthday (both dates inclusive)
80 th year	Between 80 th & 81 st birthday (both dates inclusive)

The application can be made only once within the age bracket and the application window shall be made available to ex-employee between 70-71st years/ 75-76th years/80-81st years.

3. Please note that, no carry forward facility will be allowed. If the application is not made in any age bracket, it shall lapse.
4. Payment will be done by HO centrally on 1st week of succeeding month.

Kindly bring the contents of the circular to the notice of all the staffs/ ex-staffs. A copy be displayed on the notice board for the benefit of the ex-employees.

Regards,

JOYDEEP DUTTA ROY
CHIEF GENERAL MANAGER & HEAD
(STRATEGIC HR & HR INTEGRATION)